न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 41/19
दायरा दिनांक 14.05.2019
निर्णय दिनांक 14.06.2019

बउनवान

1.पवन नागर उम्र 28 वर्ष पुत्र रमेश जाति धाकड निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र दुर्गालाल जाति धाकड निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
2. राजेश बाई पुत्री रमेश पत्नी भगवान स्वरूप जाति धाकड निवासी नाहरगढ़ जिला बारां (राज0)
3. संजू बाई पुत्री रमेश पत्नी नवलकिशोर जाति धाकड निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज हाल नि0 कढैयावन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. सुमन बाई पुत्री रमेश पत्नी सोहन जाति धाकड निवासी नाहरगढ हाल नि0 सीमल्या तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. चन्द्रकला पुत्री रमेश पत्नी इन्द्रराज धाकड निवासी नाहरगढ हा0नि0 रानीहेडा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
6. शकुन्तला पुत्री रमेश जाति धाकड निवासी नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
7. राज0सरकार जरिये तहसीलदार साहब किशनगंज जिला बारां

वादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 53,, आर0टी 0एक्ट

निर्णय दिनांक :—14.06.2019

वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,53 आर0टी0 एक्ट जरिये अभिभाषक श्री सत्यनारायण गोयल ने इस आशय का पेश किया कि—

1. यह कि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 626 पुरानी 571 ख0न0 2052/1650 रकबा 29.07 बीघा किस्म बारानी—2 लगानी 19. 08 रू0 स्थित है जिसकों वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 रमेश है यह भूमि प्रतिवादी क्रम की पुश्तेनी भूमि है प्रतिवादी क्रम 1 के एक पुत्र वादी एवं पांच पुत्रियां प्रतिवादीया क्रम 2 ता 6 है इनके अलावा प्रतिवादी क्रम 1 के अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। वादग्रस्त भूमि में वादी का कानूनी पेदायशी हक है। वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 के मध्य हुये मौखिक बंटवारे के अनुसार विवादित भूमि ग्राम नाहरगढ़ ख0न0 2052/1650 रकबा 29.07 बीघा में से 20 बीघा भूमि वादी पवन नागर को एवं 9.07 बीघा भूमि प्रतिवादी क्रम 1 रमेश को प्राप्त हुई है। मौखिक बंटवारे के अनुसार प्रतिवादिया क्रम 2 ता 6 विवादित भूमि मे से कोई हिस्सा नही लेना चाहती है यह मौखिक बंटवारे में तय हुआ है इस कारण वादी मौखिक बंटवारे में प्राप्त उक्त वर्णित भूमि रकबा 20 बीघा पर प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का व विभाजन करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।
3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका विभाजन नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 मद नं0 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर मौखिक बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में वादी का कानूनी पेदाईशी हक है परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 अनाधिकृत जबरन वादी को उसके जायज हक से वंचित करने के उददेश्य से मद नं 1 वाद पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द करने व वादी को उसके हक से

बेदखल करने पर आमादा है इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 स्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

4. यह कि वादी ने राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 18.04.2019 को इस बाबत् निवेदन किया परन्तु उन्होने कोई सहायता नही की तथा दावा करने की सलाह दी यही से वादकारण पैदा हुआ। दिनांक 18.04.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी के हकूक मानने से मना कर दिया। प्रतिवादी क्रम 1 ने दिनांक 18.04.2019 को वादी को धमकी दी है कि चाहे लाशे गिर जाये विवादित भूमि वर्णित मद नं0 1 वाद पत्र में स्थित प्रतिवादी क्रम 1 के हक को प्रतिवादी क्रम 1 रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द करके रहेगा तथा वादी को मौखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि से बेदखल करके रहेगा। इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।
5. यह कि वादी द्वारा राजस्थान सरकार को जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां के अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 2.5.2019 को अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस अवधि 2 माह प्रेषित कर दिया है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 2 माह तक इंतजार किया जाना संभव नही है। इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।
6. यह कि वाद कारण दिनांक 18.04.2019 को उत्पन्न हुआ।
7. यह कि वाद उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर चरण क्रम 1 में वर्णित आराजी ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में स्थित ख0न0 2052/1650 रकबा 20 बीघा पर प्रतिवादी क्रम 1 रमेश के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर व विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादी का नाम पृथक से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी के हकूक मे दखलंदाजी न करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे। एवं प्रतिवादी क्रम 1 को मौखिक बंटवारे में प्राप्त भूमि पर खातेदार घोषित करने पर वादी को कोई आपत्ति नही है।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये/ नियत तिथि को क्रम 1 ता 7 उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की और से एड0 एस0के0 राणा ने वकालतनामा पेश किया उभयपक्ष ने राजीनामा इस आशय का पेश किया:—

1. यह कि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बांरा(राज0) में आराजियात खेवट खतोनी नई 626 पुरानी 571 ख0न0 2052/1650 रकबा 29.07 बीघा किस्म बारानी—2 लगानी 19.08 रू0 स्थित है। जिसको वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजीनामा हो गया है राजीनामा निम्न प्रकार है—

   (1) वादी पवन नागर को राजीनामे में प्राप्त भूमि ग्राम नाहरगढ़ ख0न0 2052/1650 कुल रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि दक्षिणी दिशा में स्थित ।

   (2) प्रतिवादी क्रम 1 रमेश को राजीनामें में प्राप्त भूमि ग्राम नाहरगढ़ ख0न0 2052/1650 कुल रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा में से 9बीघा 7 बिस्वा भूमि उत्तरी दिशा में स्थित ।

   (3) प्रतिवादी क्रम 2 राजेश बाई प्रतिवादी क्रम 3 संजूबाई प्रतिवादी क्रम 4 सुमन बाई, प्रतिवादी क्रम 5 चन्द्रकला, प्रतिवादी क्रम 6 शकुन्तला द्वारा विवादित भूमि मे से अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में हकत्याग किया है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 विवादित आराजी मे से कोई हिस्सा नही लेना चाहते है। विवादित आराजी से प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 अपना नाम हटवाना चाहती है।
3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 राजीनामे में प्राप्त भूमि पर काबिज हो गये है तथा अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नही रहा है।

   अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित आराजी ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में स्थित ख0न0 2052/1650 रकबा 20 बीघा दक्षिणी दिशा में स्थित पर प्रतिवादी क्रम 1 रमेश के स्थान पर वादी को

खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं विवादित भूमि वाके ग्राम नाहरगढ 2052/1650 रकबा 9.07 बीघा भूमि उत्तरी पर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान करे एवं विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर पृथक से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी के हकूक में दखलंदाजी न करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

राजीनामा में वादी की पहचान अधिवक्ता सत्यनारायण गोयल ने की प्रतिवादीगण की पहचान एड0 एस0के0 राणा ने की। राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामानुसार इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि वाकेग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ़ की आराजी खेवट खतोनी नइ 626 पुरानी 571,ख0न0 2052/1650 रकबा 29.07 बीघा मे से 20 बीघा मे से 20 बीघा दक्षिणी दिशा में स्थित पर प्रतिवादी क्रम 1 रमेश के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने एवं वाकेग्राम नाहरगढ़ की आराजी ख0न0 2052/1650 रकबा 9.07 बीघा भूमि उत्तरी पर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम यथावत रखे जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.08.08 10:45:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: